"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 192] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 24 जुलाई 2012—श्रावण 2, शक 1934

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, दिनांक 24 जुलाई, 2012 (श्रावण 2, 1934)

अधिसूचना

क्रमांक-10245/विधान/2012.—राज्यपाल महोदय का निम्नलिखित आदेश, दिनांक 20 जुलाई, 2012 सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है :—

"**भारत के संविधान** के अनुच्छेद 174 के खण्ड (2) के उपखण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, शेखर दत्त, राज्यपाल, **छत्तीसगढ़, एतद्द्वारा** छत्तीसगढ़ की तृतीय विधान सभा के दशम् सत्र, का सत्रावसान तात्कालिक प्रभाव से करता हूं.

स्थान : रायपुर
दिनांक : 20 जुलाई, 2012

शेखर दत्त
राज्यपाल, छत्तीसगढ़."

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.